

देवघर समाहरणालय  
(जिला भू अर्जन शाखा)

—: अधिसूचना :-

अधिसूचना संख्या 924/भू अ०

दिनांक : 11/12/17

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-हरकटा, थाना-देवघर, थाना सं०- 678, अंचल-मोहनपुर, जिला-देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना देवघर बाईपास (रिंग रोड) पथ निर्माण परियोजना हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम- हरकटा, थाना-देवघर, थाना सं०-678, अंचल-मोहनपुर, जिला-देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 1.72 एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है-

क. सं.	खात सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल एकड़ में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	15	651	रैयती	धानी-3	0.07	जमाबंदी रैयत गुलो महतो।	हरला नं० 677 एवं अर्जित रकवा का अंश	हरला नं० 677	हरला नं० 677	बारा नं० 675
2	15	645	रैयती	धानी-3	0.06	तथैव।				
3	15	650	रैयती	धानी-3	0.04	कलसी देवी पति स्व० लीला महतो वो सीता देवी पति स्व० योगेन्द्र यादव वो बहन है।				
4	15	647	रैयती	धानी-3	0.04	तथैव।				
5	15	649	रैयती	धानी-3	0.14	नरेश चन्द्र यादव पे० स्व० बालेश्वर महतो वो प्रमोद यादव वो सुबल यादव वो नवल यादव माता स्व० प्रमीला देवी वो अष्टमा देवी पति स्व० महेश चन्द्र यादव वो उर्मिला देवी वो संजय यादव वो मीरा देवी वो विजय यादव पे० स्व० धनजय महतो वो खेमावती देवी पति स्व० रमेश चन्द्र यादव वो दिनेश प्र० यादव वो जन्मजय यादव वो सर्मिला देवी पे० स्व० मंगल महतो।				
6	15	648	रैयती	धानी-3	0.03	किशुन महतो पे० स्व० गोदो महतो।				
7	15	646	रैयती	धानी-3	0.05	सुकदेव महतो पे० जीयो महतो वो।				
8	17	613	रैयती	बाड़ी-2	0.01	कामदेव चौधरी वो बलदेव चौधरी पे० स्व० बिसम्बर चौधरी वो हलधर चौधरी वो विपीन चौधरी वो बबलू चौधरी पे० स्व० रुद्र देव चौधरी।				
9	17	654	रैयती	बाड़ी-2	0.80	तथैव।				
10	24	655	रैयती	बाड़ी-2	0.19	सुरेन्द्र चौधरी पे० स्व० वकील चौधरी वो कौशल्या देवी पति स्व० पिताम्बर चौधरी वो मुरारी चौधरी पे० स्व० राज कुमार चौधरी।				
11	42	644	रैयती	बाड़ी-2	0.10	वसमति देव्या पति स्व० जालेश्वर चौधरी वो बालेश्वर चौधरी वो नागेश्वर चौधरी वो शिव ना० चौधरी पे० स्व० भगतु चौधरी।				

9

12	42	653	रैयती	धानी-3	0.08	तथैव।				
13	47	652	रैयती	बाड़ी-2	0.11	अजनास देवी पे० स्व० हाकिम चौधरी वो सत्य नारायण चौधरी पे० स्व० महराज चौधरी।				
कुल रकवा-					1.72					

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियों हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

  
9/12/17

समाहर्ता-सह-उपायुक्त,  
देवघर।

ज्ञापांक 924/ भू अ0, देवघर, दिनांक 11/12/17

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, मोहनपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।

  
9/12/17

समाहर्ता-सह-उपायुक्त,  
देवघर।